

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

“कचनार” ई-5 पर्यावरण परिसर अररा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दरभाष-0755-2427091

क्रमांक
प्रति,

/टीसी/644/उपां/नग्रानि/2017 भोपाल,

दिनांक:- / /2018

1. कलेक्टर,
जिला सीहोर (म.प्र.)।

2. संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, सीहोर
जिला सीहोर (म.प्र.)।

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका, सीहोर (म.प्र.)।
जिला सीहोर (म.प्र.)।

विषय:- सीहोर विकास योजना 2031 में उपांतरण बाबत(ग्राम-शेरपुर, खसरा क्रमांक-81/3/3, 288/
170/1/1)।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा सीहोर विकास योजना 2031 में
उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक
समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के
सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

पृ. क्रमांक 2799 /टीसी/644/उपां/नग्रानि/2017 भोपाल,

दिनांक:- 15/5/2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया
सूचनार्थ।

2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.)
भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

AC 10
5/5/18

M

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

सूचना

भोपाल, दिनांक 18/5/2018

क्रमांक 2796 644/उपां/टीसी/सीहोर/2017 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट सीहोर विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	शेरपुर	81/3/3	2.428	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग (अटल आश्रय योजना हेतु)
2.	शेरपुर	288/170/1/1	1.198	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग (अटल आश्रय योजना हेतु)
		योग:-	3.626 हेक्टेयर		

शर्त:- विद्यमान शासकीय मार्ग के मध्य से 6.00 मीटर भूमि दोनों ओर मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा वेबसाइट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर आयुक्त सह संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(गुलशन बाभरा)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

Directorate, Town and Country Planning,

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh
Email-mptownplan@mp.gov.in, Phone No-0755 2427091

Notice

Bhopal, Dated. / /2018

No. 644/CL/TC/Sehore/2017 - In exercise of the powers conferred by clause(b) of Sub section (1) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973). The Director, hereby proposes the following modifications for public information in the Sehore Development Plan, 2031 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No	Village	Khasara No.	Area (In Ha.)	Land use specified in the development plan	Proposed Land use after modifications
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sherpur	81/3/3	2.428	Agriculture and Road	Residential and Road (for Atal Ashraya Yojana)
2.	Sherpur	288/170/1/1	1.198	Agriculture and Road	Residential and Road (for Atal Ashraya Yojana)
		Total:-	3.626 Ha		

Condition : It shall be compulsory to leave 6.00 meter land on both sides from center line of existing government road for road widening.

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, District Bhopal as well as on the web site. www.mptownplan.gov.in for period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Commissioner cum Director, Town and Country Planning Madhya Pradesh Bhopal or Joint Director Town and Country Planning, District office Bhopal, in writing within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Commissioner cum Director.

(Gulshan Bamra)

Commissioner cum Director
Town and Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal